न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)।

पीठासीन अधिकारी:– कार्तिकेय मीणा (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या:– 334/2022

वादीगण:–

1.अब्दुल अजीज पुत्र रहमत अली जाति देशवाली उम्र साल

2.अब्दुल जब्बार पुत्र रहमत अली जाति देशवाली उम्र साल समस्त निवासीगण गरदेजाबासनी तहसील डीडवाना।

3.मो0 युसुफ पुत्र निजाम जाति देशवाली उम्र साल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1.असलम पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

2.असलम पुत्र निजाम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास।

3.अहसान पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

4.आमना पत्नी युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

5.आमना पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुला जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी खातिया बासनी।

6.आसिया पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुल सतार जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी हाल निवासी लाड़ा बास।

7.इलियास पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास।

8.ईशाक पुत्र हासम अली जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

9.जैनब पुत्री इब्राहीम पत्नी फारूक जाति देशवाली नि– लाड़ाबास हाल नि रामसाबास।

10.जुबैदा पुत्री इब्राहीम पत्नी जाकिरहुसैनजातिदेशवाली नि.लाड़ाबास हा. नि. दौलतपुरा

11.जरीना पुत्री सत्तार पत्नी अब्दुल गफार जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी मल्लाबासनी।

12.जरीना पुत्री रहमत अली पत्नी मोहम्... जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी हाल निवासी लाड़ाबास।

13.जाहिदा पुत्री इब्राहीम पत्नी असलम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास... निवासी खातियाबासनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

14.नजमा पुत्री इब्राहीम पत्नी सवालीन जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास निवासी खातियाबासनी।

15.नसरीन पुत्री इब्राहीम पत्नी असरफ खां जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी खातियाबासनी।

16.नसरीन पुत्री सत्तार पत्नी कमालुदीन जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी बालिया।

17.नसीबन बानो पुत्री हासम अली पत्नी अब्दुल रजाक जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी खातियाबासनी।

18.मो. नासीर पुत्र सत्तार जाति देशवाली निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना, राज.।

19.मजीद पुत्र रहमत अली जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी ,जिला नागौर राज.।

20.मरियम पत्नी इब्राहीम जाति देशवाली नि– लाड़ाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर।

21.माशेला पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुल रहीम जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी निवासी कटला बास, डीडवाना।

22.मो. मुस्तकीम पुत्र सत्तार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

23.मो. साकिर पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

24.युनुस पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

25.रसीद पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

26.रहबो उर्फ राबिया बानो पुत्री सतार पत्नी मो. असलम जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास।

27.रहमत पत्नी सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

28.लियाकत अली पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

29.समीना बानो पुत्री सतार पत्नी मो. अहसान जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी गरदेजाबासनी।

30.सदाम पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर ।

31.समरीन बानो पुत्री इब्राहीम पत्नी मोसिमुदीन जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी गादडिया कुआ की ढाणी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

32.समीना बानो पुत्री इब्राहीम पत्नी मो. इमरान जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल गरदेजा बासनी।

33.सलाम पुत्र रहमत अली जाति देशवाली नि गरदेजाबासनी तह डीडवाना,जि. नागौर।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

34.सवालीन पुत्र सतार जाति देशवाली नि– रामसाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर।

35.सवालीन पुत्र युसुफ जाति देशवाली नि गरदेजाबासनी तह. डीडवाना,जिला नागौर।

36.सिकन्दर पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह डीडवाना,जिला नागौर।

37.हफीजन पुत्री हासम अली पत्नी युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी लाड़ा बास।

38.इब्राहीम पुत्र जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान

39.आमना बानो (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी अब्दुल मजीद निवासी रामसाबास हाल निवासी अमरपुरा।

40.जैबुन (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी अब्दुल सलाम निवासी रामसाबास हाल निवासी खातियाबासनी।

41.सलमा बानो (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी असलम निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास।

42.स्व. आसिया बानु (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान)पत्नी सद्दीक के वारिसान –

42/1– मो. जमीलपुत्र मो. सद्दीक जाति देशवाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

42/2– रोशन बानो पुत्री मो. सद्दीक पत्नी मो. सकील जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी दादुबासनी,

42/3– रूजीना बानो पुत्री मो. सद्दीक पत्नी मो. फारूक जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी दौलतपुरा

42/4– मो. साजिद पुत्र मो. सद्दीक जाति देशवालीजाति देशवाल निवासी लाड़ाबास।

43.अफजल पुत्र मोहम्मद अली

44.सुफियान पुत्र मोहम्मद अली (नाबालिग जरिये संरक्षक तसलीम) समस्त जाति देशवाली निवासी रामसाबास, तहसील डीडवाना।

45.रासीदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी नौशाद जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

46.मुर्सिदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. अकरम जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी गरदेजाबासनी।

47.रूबीना पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. राशीदजाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी गरदेजा बासनी।

48.साजिदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. मोहसीम जाति देशवाली निवासी रामसाबास

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

हाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

49.निशाद पुत्री मोहम्मद अली

50.मुजकिरा पुत्री मोहम्मद अली

51.बुसरा पुत्री मोहम्मद अली

52.आयशा पुत्री मोहम्मद अली (नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरति वलिया तसलीम)

53.तसलीम पत्नी मोहम्मद अली समस्त जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

54.सुण्डाराम पुत्र श्री रामकुंवार

55.गणेश पुत्र रामदेव

56.मन्जू पुत्री रामदेव

57.पिंकी पुत्री रामदेव

58.सुमन पुत्री रामदेव

59.भगवती पुत्री रामदेव

60.मिनाक्षी पुत्री रामदेव

61.आशा देवी पत्नी रामदेव

62.पूर्णमल पुत्र श्री रामकुंवार

63.श्योपारी पत्नी श्री रामकुंवार

64.दला देवी पत्नी तोलाराम

65.पूसाराम पुत्र तोलाराम

66.मंगलाराम पुत्र तोलाराम

67.घीसी देवी पुत्री तोलाराम

68.मंगनीराम पुत्र पन्नाराम

69.खेताराम पुत्र पन्नाराम

70.गोवर्धन पुत्र पन्नाराम

71.रामाकिशन पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल

72.रामगोपाल पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल

73.मदनलाल पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल [illegible] जाति माली निवासीगण आड़का बास, डीडवाना तहसील डी[illegible]

74.राज्य सरकार जरिये श्री[illegible] डीडवाना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद–पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु।

उपस्थित:– श्री अल्ताफ हुसैन अधिवक्ता वादीगण की और से।

प्रतिवादी संख्या 74 तहसीलदार स्वयं उप.।

निर्णय

दिनांक 04–10–2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि मौजा रामसाबास मे राजस्व भूमि जिसके पूराना खसरा नम्बर 401 रकबा 85 बीघा 08 बिस्वा अवस्थित रही हैं। उक्त पुराना खसरा नम्बर 401 के नये खसरा नम्बर 476 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 477 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नमबर 480 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा बने। जिनका कुल रकबा 82 बीघा 06 बिस्वा के सम्पूर्ण भाग पर कब्जा, काश्त पहले वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के दादा मेरा बेटा गुला, जमाल बेटा सलू देशवाली का था और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के पिता एवं उनके बाद अब वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 का हैं। उक्त पूराना खसरा नम्बर 401 का एक खसरा नम्बर 478 गै0 मु0 रास्ता रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा बना था। जो राज्य सरकार की भूमि में मिलकर रेकर्ड पर एवं वर्तमान मे कटाणी रास्ता मौजुद हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 को शक हुआ तो प्रतिवादी तहसीलदार जी से पूंछताछ की तो प्रतिवादी तहसीलदार जी ने बताया कि सहायक कलेक्टर डीडवाना का डिक्री आदेश निर्णय दिनांक 30–08–2019 बअनुवान सुण्डाराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 161/2012 मे इन उपर वर्णित खसरान के सम्बन्ध मे पारित होना बताया, जिनको इस वाद–पत्र मे पक्षकार प्रतिवादी संख्या 54 से 73 बनाया गया हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि हमारे पूर्वजो की कब्जा काश्त व पैतृक भूमि व खातेदारी की भूमि की डिक्री बिना कब्जा के इनके नाम से जारी हो सकती हैं। तब वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 ने सम्बधिंत न्यायालय मे इसकी [illegible] कि प्रतिवादी ने किसी प्रभाव शून्य दस्तावेजो कथित निर्ण[illegible] शून्यकरणीय दस्तावेज के आधार पर (प्रति[illegible]) वाद के वादीगण अपने आप को उक्त भूमि के गलत खातेदार हुए हैं। इस प्रभाव शुन्य [illegible]देश व डिक्री दिनांक 30–08–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

2019 के आधार पर उक्त भूमियां की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा लिया तो एवं जबकि ऐसे गलत निर्णय व डिक्री का ना तो कोई विधिक अस्तित्व होता हैं और न ही ऐसे निर्णय व डिक्री पर एक्ट अपोन किया जा सकता हैं। प्रथम तो वाद–पत्र मे वर्णित आधारों के आधार पर यह निर्णय व डिक्री निल एण्ड वोईड एवं कुटरचित हैं। इसके अतिरिक्त यह निर्णय व डिक्री अविधिक होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के हितो के प्रति प्रभाव शुन्य हैं। जिसके आधार पर न तो कोई विधिक प्रविष्टि (अमल दरामद) हो सकती हैं और न ही कोई विधिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के हित व अधिकारो के प्रति प्रभाव शुन्य घोषित किया जाना और इसके निर्णय व डिक्री की आधार पर की गई नामाकंन या नामान्तरकरण को हटाकर पुनः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 या पूर्व में बदस्तुर के नाम उक्त भूमियां घोषित किया जाना ही न्यायोचित हैं।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही उक्त पद संख्या 1 की भूमियो पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्य 1 ता 53 के पिता व दादा पूर्वज मेरा बेटा गुला व जमाल बेटा सलु की रही हैं। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 का ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 मे हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियो पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 के पिता के कब्जा काश्त की ही रही हैं। वर्तमान मे वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त उपरोक्त पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 तक का हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व भूल से कालांतर मे गलत रुप से पद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 476 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 477 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नमबर 480 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा बने। जिनका कुल रकबा 82 बीघा 06 बिस्वा हैं, जिनके नया खसरा नम्बर 357 रकबा 4.4800 हैक्टेयर बारानी–2, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.3500 हैक्टेयर बारानी–2, खसरा नम्बर 360 रकबा 4.2700 हैक्टेयर बारानी–2, खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर बारानी–2 कुल खसरे 4 कुल रकबा 13.3300 हैक्टेयर बारानी –2 [illegible] 3/[illegible] भाग यानि खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर बारानी–2 पर राजस्व [illegible] कस्टोडियन दर्ज हो गया जबकि उक्त महकमा कस्टोडियन के नाम से खातेदा[illegible]ली भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 का 53 के कब्जा काश्त की भूमि रही हैं। जिस कारण से वादीगण व व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 राजस्व रिकॉर्ड मे 3/8 भाग यानि खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर बारानी–2 की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी आया हैं। राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व भूल से कालान्तर मे गलत रूप से पद संख्या 1 मे वर्णित खसरान नम्बरान के 3/8 भाग पर खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर बारानी–2 पर महकमा कस्टोडियन के नाम की खातेदारी दर्ज हो गई तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज हुई हैं। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरीक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को चालू पड़त (सिवाय चक) दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 का ही कब्जा काश्त रहा हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 व उनके परिवारजन कभी भी भारत छोडकर पाकिस्तान नही गये हैं। पूराने रेकर्ड मे महकमा कस्टोडियन गलत रूप मे दर्ज हुआ था जो राजस्व कर्मचारियो के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया। जिसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 शुद्धिकरण करवाकर पूरानी कदीमी समय से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी हैं। लेकिन वर्तमान मे राजस्व रिकॉर्ड मे चालू पड़त दर्ज होने के कारण समय–समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐलानियां धमकी देते हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 को उसकी पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते हैं तथा उसके अधिकारो व हितो को चुनौती देने लगे हुए हैं तथा येन केन प्रकारेण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 की पैत्रिक कृषि भूमि से महरूम रखना चाहते हैं। वाके सरहद रामसाबास मे स्थित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित (उपर वर्णित) खसरान नम्बरान की खातेदारी की घोषणा बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 54 से 74 घोषित की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरुस्ती की जाये व इन खसरान के सम्बन्ध मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादीगण व उसके कर्मचारी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से अपने आदमी, एजेन्ट कर्मचारी [illegible] तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 को काश्त कार्य करने व स्वतंत्र उपयोग [illegible] मे लेने पर किसी प्रकार की रोक टोक नही करें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति से [illegible]वे। प्रतिवादीगण संख्या 54 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

73 उक्त गलत निर्णय व डिक्री की आड़ मे गलत रूप से राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जिस पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाना आवश्यक हैं। यदि प्रतिवादी ने गलत निर्णय व डिक्री की आड़ में राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर उक्त खेतो का विक्रय या हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नही होगी। इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करना आवश्यक हैं। उपरोक्त पैरो मे बताये गये कथित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2019 उसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 पक्ष के हित व अधिकारो के प्रति प्रभाव शुन्य घोषित किये जाने बाबत् भी यह वाद पेश हैं तथा श्रीमान जी से प्रार्थना हैं कि निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2019 को किया गया उक्त निर्णय व डिक्री को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 53 पक्ष के हितो के प्रति प्रभाव शुन्य घोषित किया जावें। इस आशय की डिक्री वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 53 के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 54 से 74 के विरुद्ध जारी करने की कृपा करावे। अन्य कोई उचित अनुतोष जो वादीगण के हित व लाभ का हों कि डिक्री भी वादीगण के पक्ष में जारी करने की कृपा करावे।

प्रस्तुत प्रकरण मे प्रतिवादीगण के समन तामीलसुदा आने पर उनकी और से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 74 तहसीलदार डीडवाना से वाद-पत्र मे वर्णित खसरान नम्बरान के सम्बन्ध मे राजस्व रेकार्ड के मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 74 द्वारा दिनांक 02-09-2022 (अंकित दिनांक 1-09-22) को विवादित खसरान की मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट वाद के पैरानुसार जबाब वाद-पत्र के रुप मे प्रस्तुत की कि पैरा संख्या 1 मे दर्ज खसरा नम्बर 476 रकबा 27.13 बिघा, खसरा नम्बर 477 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 479 रकबा 26.08 बिघा, खसरा नम्बर 480 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 82 बीघा 06 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2070-73 मे अंकन दर्ज है। भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त नया रेकर्ड के अनुसार वाद मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों के नये नम्बर 357 रकबा 4.4800 हैक्टेयर बारानी-2, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 4.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा [illegible]230[illegible] हैक्टेयर कुल रकबा 13.3300 हैक्टेयर दर्ज हैं। जिनके वर्तमा[illegible] जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है तथा उक्त भूमियों पर वर्तमान मे मान्नीय राजस्व अप[illegible] अधिकारी का स्थगन आदेश है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 223 आर.टी. एक्ट मे दिनांक 1-3-19 से स्थगन है, बअनुवान सुण्डाराम बनाम सवालीन, वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारो की नकल जमाबन्दी संलग्न हैं, पैरा मे यह उल्लेख किया गया है कि मान्निय न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के निर्णय दिनाक 30-08-19 बअनुवान सुण्डाराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 161/2012 सुण्डाराम वगैराह को खातेदार घोषित करने का अंकन किया है, इस प्रकार की डिक्री या आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद हेतु हल्का पटवारी को न तो प्राप्त हुआ हैं और न संज्ञान मे है, पैरा मे दर्शाये गये तथ्य माननिय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हैं, खसरा नम्बर 357, 358, 360, 361 कुल रकबा 13.33 हैक्टर मे 3/8 हिस्सा राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा खातेदारी हिस्से की भूमि मे काश्त की जा रही हैं, नकल गिरदावरी संलग्न हैं, वादी व प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बरान मे दर्ज हिस्सा 3/8 जो राज्य सरकार के नाम है। वहाँ अपना कब्जा बताया है जो गलत बताया है, वर्ष 2010 से पहले यह भूमि कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज थी। राजस्व विभाग के ग्रुप 1 (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र से यह भूमिया राज्य सरकार के नाम दर्ज कीजो वर्तमान मे रेकर्ड मे दर्ज है तथा शेष विवरण माननिय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। पद संख्या 11 असत्य है यह हिस्सा गत भूप्रबन्ध विभाग से रेकर्ड मे चल रहा हैं तथा वर्तमान मे सिवायचक दर्ज हैं ईत्यादि।

प्रस्तुत प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 74 द्वारा प्रस्तुत जबाब वाद-पत्र का जबाबुल जबाब वादीगण की और से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि जवाब दावे के पद संख्या 1 में वर्णित खेताय की भूमि कुल 82 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि सदैव रही हैं। उक्त भूमि के सम्बंध में राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील सुण्डाराम बनाम सवालीन वगैरह में पारित स्थगन आदेश दिनांक 01-03-2019 से हस्तगत वाद के तथ्यो एवं परिस्थितियो को प्रभावित नही करता हैं। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 01-03-2019 के पश्चात व वर्तमान स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी हैं अथवा नही। इस सम्बंध में कोई स्पष्ट स्थिति अपने जवाब दावे में अंकित नही की हैं। उक्त स्थगन आदेश न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के [illegible] में व निर्णय करने में बाधित नही हैं। जवाब दावे के पैरा संख्या [illegible] अस्वीकार हैं। उक्त खेताय के वर्तमान खसरा नम्बर 357, 358, 360, 361 कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 का भौतिक रूप से पूर्वजो के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि के कब्जे में आज तक प्रतिवादी संख्या 74 अथवा अन्य राजस्व अधिकारियो ने कभी कोई दखल अन्दाजी नही की। उक्त सम्पूर्ण भूमि सदैव एक चक में रही तथा आज भी उक्त भूमि एक चक के रूप में ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 काश्त कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में 3/8 भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होने मात्र से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 74 अथवा राजस्व अधिकारियो को विशेषाधिकार प्राप्त नही होते हैं। उक्त भूमि यदि वास्तव में कभी राजस्व हक अधिकार की होती तो प्रतिवादी संख्या 74 उक्त 3/8 भूमि के पडौस खसरा नम्बर सहित अंकित कर अपना जवाब प्रस्तुत करता। परन्तु उक्त भूमि सदैव एक चक में होने व वादी पक्ष अपने पूर्वजो के समय से काबिज व काश्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 74 राज्य सरकार की भूमि 3/8 बताने व उसका लैण्ड मार्क बताने में असक्षम हैं। चूंकि उक्त भूमि पर कभी भी राज्य सरकार कब्जा हक अधिकार नही रहा। इस कारण तहसीलदार ने अपने जवाब दावे में 3/8 भूमि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में कौनसे भाग में अवस्थित हैं यह बताने में असमर्थ रहा हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 की भौतिक रूप से कब्जा होने की संस्वीकृति प्रतिवादी संख्या 74 की रही हैं।अत: जवाब बुल जवाब पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण का वाद उनके द्वारा चहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाने की कृपा करावे।

प्रकरण मे वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य मे पी.डबल्यू–1 मो.युसुफ, पी.डबल्यू–2 अब्दुल अजीज, पी.डबल्यू–3 अब्दुल जब्बार, पी.डबल्यू–4 रुस्तम अली, के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श–1 व 2 जमाबन्दी की प्रमाणित व फोटो प्रति, प्रदर्श–2 बअनुवान सुण्डाराम बनाम तहसीलदार पत्रावली की आर्डरसिटस की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–3 वाद–पत्र सुण्डाराम बनाम तहसीलदार की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–3 वाद–पत्र सुण्डाराम बनाम तहसीलदार की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–4 प्रार्थना–पत्र सुण्डाराम बनाम तहसीलदार की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–5 जबाब दावा प्रतिवादी तहसीलदार का बअनुवान सुण्डाराम बनाम तहसीलदार की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–6 साक्ष्य शपथ पत्र वादी सुण्डाराम, प्रदर्श–7 साक्ष्य शपथ-पत्र सदीक. प्रदर्श–7 धांरा 151 का आवेदन, प्रदर्श–8 निर्णय की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–9 भू–प्रबन्धक विभाग [illegible] 2016 [illegible]095, प्रदर्श–10 भू प्रबधक (सेटलमेंट) विभाग पत्रक सम्वत 2017, प्रदर्श–12,13 जोधपुर गवर्नमेंट पत्रक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–14 भू प्रबन्धक सेटलमेंट विभाग पत्रक सम्वत 2022, प्रदर्श–15, 16, भू–प्रबन्धक विभाग का पत्रक 2076 से 2095, प्रदर्श–17 से 24 नामांतरण पंजिका, प्रदर्श–25 खतौनी सम्वत 2054–57, प्रदर्श–26 खतौनी सम्वत 2058–61, प्रदर्श–27 खतौनी , प्रदर्श–28 खतौनी सम्वत 2010–13, प्रदर्श–29 खतौनी सम्वत 2014–17, प्रदर्श–30 व 31 खतौनी सम्वत 2022–25, प्रदर्श–32 खतौनी सम्वत 2030–33, प्रदर्श–33 खतौनी सम्वत 2033–36, प्रदर्श–34 गिरदावरी सम्वत 2012–13, प्रदर्श–35 गिरदावरी सम्वत 2018–21, प्रदर्श–36 गिरदावरी सम्वत 2014–17 को प्रदशित किये गये।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता ने बहरा के दौरान प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पारित निर्णय व डिक्री को नल व वोईड व प्रभावहिन के करने व तत्पश्चात उक्त खैताय की 3/8 भाग भूमि की खातेदारी चाही है तथा उक्त भूमि पर पूर्वजो का तथा उनके पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आया है, जिराकी खातेदारी पाने का वह मुश्तहक है।

प्रकरण मे सर्वप्रथम विदित हैं कि जैर वाद खसरान के सम्बन्ध मे पारित पूर्व के निर्णय दिनाक 30–08–19 बअनुवान सुण्डाराम बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 161/2012 सुण्डाराम वगैराह जिसमे प्रतिवादी संख्या 54 से 73 तक या इनके पूर्वजों के सम्बन्ध मे खातेदार घोषित बाबत डिक्री का निर्णय पारित हुआ हैं। जिसके सम्बन्ध मे प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जैर वाद खसरान के सम्बन्ध मे प्रस्तुत अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि "इस प्रकार की डिक्री या आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद हेतु हल्का पटवारी को न तो प्राप्त हुआ हैं और न संज्ञान मे है," और उक्त निर्णय एवं डिक्री के सम्बन्ध मे प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार के अपीलिय न्यायालय के किसी भी आदेश या स्थगन आदेश को पत्रावली पर पेश नही किया हैं केवल मात्र अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो जबाब वाद–पत्र के प्रारुप के रुप मे पेश की है, केवल इस तथ्य का वर्णन ही किया गया है, जिसके समर्थन मे किसी भी अपिलिय न्यायालय के आदेश को पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त तथ्य को साबित व पेश करने का भार प्रतिवादी पर है जो कि समग्र दस्तावेजी सामग्री के अभाव मे कतई प्रतिवादी पक्ष के तथ्यो को सही मे उपधारित नही की जा सकती। उक्त निर्णय व डिक्री का वास्तविक एवं विधिक अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

हैं। क्योंकि वर्तमान मे भौतिक एवं वास्तविक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 का हैं। (प्रतिवादी संख्या 54 से 73) जो निर्णय मे वादीगण हैं जो इस रूप मे उक्त निर्णय व डिक्री मे तथा मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरियो एवं भू-प्रबंधक मे केवल मात्र राहीन मजकुर दर्ज रहा है, न कि वास्तविक कब्जा काश्त एवं खातेदार दर्ज रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय द्वारा किसी अनाअस्तित्व वाले व्यक्तिगण के नाम से कोई खातेदारी घोषित की भी हैं तो वह निर्णय व डिक्री पूर्णरूप से अवैध निल एण्ड वोईड व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 53 के हितो के प्रति प्रभाव शुन्य हैं। ऐसे निर्णय व डिक्री का कोई विधिक महत्व नही हैं तथा न ही लिगल निर्णय व डिक्री हैं। यही नही जब प्रतिवादी संख्या 54 से 73 (निर्णय में वादीगण) उपरोक्त भूमियो पर कब्जा काश्त स्वीकार करते हैं तो इसके आधार पर उपरोक्त भूमियो का संव्यवहार एवं एक ही चक की भूमि के अन्य खातेदारो एवं कब्जाधारियो को उस निर्णय एवं डिक्री मे पक्षकार भी नही बनाया है। जिससे भी स्पष्ट हैं कि उक्त वाद-पत्र महत्वपूर्ण तथ्यों व आवश्यक पक्षकारान के अभाव मे पेश होकर निर्णित हुआ हैं। जिसका कोई बाईंडिग प्रभाव वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 पर कतई माने जाने योग्य नही हैं।

और उस वक्त उक्त वाद के वादीगण को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से न्याय प्राप्ति के लिए आना कतई नही माना जा सकता। न्यायालय के समक्ष यह भी मत आया हैं कि उक्त बताये गये निर्णय व डिक्री के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने को भी अस्वीकार करते हैं। दिनांक 11-10-2012 को प्रार्थीगण सुण्डाराम वगैराह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1963 परमानेट एलोटमेन्ट ऑफ इवेक्यु एग्रीकल्चर लैण्ड नियम 1963 जो प्रार्थना पत्र दर्ज होकर काफी समय से तलबी मे विचाराधीन रहा हैं। जिसको नोट प्रेस ना करते हुए उसी प्रार्थना पत्र संख्या 161/2012 मे ही वाद पत्र पेश किया गया हैं। जो कि विधिक सिद्धांतो के परे हैं। यही नही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी हैं कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30-08-2019 के किसी भी भाग पर कोई अभिस्वीकृति किसी भी अभिलेख या पत्रावली पर नही हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 161/2012 कब वाद-पत्र की धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे परिवर्तित हो गया। ऐसी स्थिति में भारतीय सम्पति भूमि अन्तरण अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत यह पारित किया गया निर्णय व डिक्री की परिभाषा से कवर्ड नही होता हैं और इस पर किसी भी प्रकार का एक्ट ओपन नही किया जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में उपलब्ण तथ्यो से साफ जाहिर है कि प्रश्नगत भूगि वादीगण के पूर्वज तत्पश्चात उनके वारिसान के कब्जा काश्त की रही है। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से गहकगा करटोलियन 3/8 दर्ज किया गया। तत्पश्चात राजकीय दर्ज होकर आज दिन राजस्थान सरकार को नाम दर्ज चली आ रही है। परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग क्रमांक/एफ–1(15) राजस्व/2009 जयपुर, दिनाँक अक्टूबर 06, 2009 के अनुसार निष्क्रांत सम्पतियो जिनका आंवटन नही किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की भूगियों का निस्तारण राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग अपने नियमों के तहत करेगा, ऐसे निर्देश दिये गये है। उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी, खसरा मिलान, भू–प्रबंधक एवं गिरदावरी वादपत्र इत्यादि के अनुसार प्रश्नगत खैतायों की भूमि पर वादीगण एंव उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होती हैं। प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता हो कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि कभी राजकीय खाते में दर्ज रही हो ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय भू–प्रबंधक विभाग द्वारा बनाया गया प्रपत्र–1 के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 का हैं। उक्त प्रपत्र की प्रति व अन्य दस्तावेजात वादीगण द्वारा पेश करके अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाये गये है। उक्त पद संख्या 1 मे वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि रकबा 82 बीघा 06 बिस्वा पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 के पिता मेरा बेटा गुला व जमाल बेटा सलु की रही हैं तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 53 का हीं हैं। सम्वत् 2006 से आज तक की गिरदावरी वादीगण की और से पेश की गई हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कदीमी से वादीगण एवं उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण अब्दुल अजीज एवं गवाहो के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से भी वादीगण का उपरोक्त भूमि पर पुरातन कब्जा साबित होता है।

अतः वाद–पत्र वादीगण उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से साबित होने से इन खसरान के सम्बन्ध मे पूर्व पारित निर्णय को अपास्त (प्रभाव शून्य) घोषित करते हुए बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 54 से 74 निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वाद बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 54 से 74 डिक्री किया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 161/2012 बअनुवान प्रार्थीगण सुण्डाराम वगैराह बनाम तहसीलदार मे पारित निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 30-08-2019 को प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता हैं व ग्राम रामसाबास पटवार हल्का बालिया तहसील डीडवाना मे स्थित वर्तमान नये खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 4.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 4.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर कुल रकबा 13.3300 हैक्टेयर भूमि में से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज 3/8 हिस्से को हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 54 से 74 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि उपर वर्णित खसरान की 3/8 भाग भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 तक के काश्त कार्य करने व स्वतंत्र उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 53 से 73 व प्रतिवादी संख्या 74 व उसके कर्मचारी किसी प्रकार की दखलअन्दाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी एजेंट या प्रतिनिधि से ऐसा करावे।

उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-10-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा R.A.S)
सहायक कलेक्टर डीडवाना
जिला-नागौर (राज.)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रुल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालतः न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम : डीडवाना जिला नागौर

बइजलास:- कार्तिकेय मीणा (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या:- 334/2022

वादीगण:-

1.अब्दुल अजीज पुत्र रहमत अली जाति देशवाली उम्र साल

2.अब्दुल जब्बार पुत्र रहमत अली जाति देशवाली उम्र साल समस्त निवासीगण गरदेजाबासनी तहसील डीडवाना।

3.मो0 युसुफ पुत्र निजाम जाति देशवाली उम्र साल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1.असलम पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

2.असलम पुत्र निजाम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास।

3.अहसान पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

4.आमना पत्नी युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

5.आमना पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुला जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी खातिया बासनी।

6.आसिया पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुल सतार जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी हाल निवासी लाड़ा बास।

7.इलियास पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास।

8.ईशाक पुत्र हासम अली जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी।

9.जैनब पुत्री इब्राहीम पत्नी फारूक जाति देशवाली नि- लाड़ाबास हाल नि रामसाबास।

10.जुबैदा पुत्री इब्राहीम पत्नी जाकिरहुसैनजातिदेशवाली नि.लाड़ाबास हा. नि. दौलतपुरा

11.जरीना पुत्री सत्तार [illegible] निवासी रामसाबास हाल निवासी मल्लाबासनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

12.जरीना पुत्री रहमत [illegible] जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी हाल निवासी लाड़ाबास।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

13.जाहिदा पुत्री इब्राहीम पत्नी असलम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी खातियाबासनी।

14.नजमा पुत्री इब्राहीम पत्नी सवालीन जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास निवासी खातियाबासनी।

15.नसरीन पुत्री इब्राहीम पत्नी असरफ खां जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी खातियाबासनी।

16.नसरीन पुत्री सत्तार पत्नी कमालुदीन जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी बालिया।

17.नसीबन बानो पुत्री हासम अली पत्नी अब्दुल रजाक जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी खातियाबासनी।

18.मो. नासीर पुत्र सत्तार जाति देशवाली निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना, राज.।

19.मजीद पुत्र रहमत अली जाति देशवाली निवासी गरदेजा बासनी ,जिला नागौर राज.।

20.मरियम पत्नी इब्राहीम जाति देशवाली नि– लाड़ाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर।

21.माशेला पुत्री रहमत अली पत्नी अब्दुल रहीम जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी निवासी कटला बास, डीडवाना।

22.मो. मुस्तकीम पुत्र सत्तार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

23.मो. साकिर पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

24.युनुस पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

25.रसीद पुत्र युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी।

26.रहबो उर्फ राबिया बानो पुत्री सतार पत्नी मो. असलम जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास।

27.रहमत पत्नी सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

28.लियाकत अली पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

29.समीना बानो पुत्री सतार पत्नी मो. अहसान जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी गरदेजाबासनी।

30.सदाम पुत्र इब्राहीम जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर ।

31.समरीन बानो पुत्री इब्राहीम पत्नी मोसि[illegible] देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी गादडिया कुआ क[illegible]

32.समीना बानो पुत्री इब्राहीम पत्नी मो. इमर[illegible] जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

गरदेजा बासनी।

33.सलाम पुत्र रहमत अली जाति देशवाली नि गरदेजाबासनी तह डीडवाना,जि. नागौर।

34.सवालीन पुत्र सतार जाति देशवाली नि– रामसाबास तह–डीडवाना,जिला नागौर।

35.सवालीन पुत्र युसुफ जाति देशवाली नि गरदेजाबासनी तह. डीडवाना,जिला नागौर।

36.सिकन्दर पुत्र सतार जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह डीडवाना,जिला नागौर।

37.हफीजन पुत्री हासम अली पत्नी युसुफ जाति देशवाली निवासी गरदेजाबासनी हाल निवासी लाड़ा बास।

38.इब्राहीम पुत्र जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान

39.आमना बानो (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी अब्दुल मजीद निवासी रामसाबास हाल निवासी अमरपुरा।

40.जैबुन (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी अब्दुल सलाम निवासी रामसाबास हाल निवासी खातियाबासनी।

41.सलमा बानो (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान) पत्नी असलम निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास।

42.स्व. आसिया बानु (पुत्री जन्ना पत्नी अब्दुल रहमान)पत्नी सद्दीक के वारिसान –

42/1– मो. जमीलपुत्र मो. सद्दीक जाति देशवाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

42/2– रोशन बानो पुत्री मो. सद्दीक पत्नी मो. सकील जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी दादुबासनी,

42/3– रूजीना बानो पुत्री मो. सद्दीक पत्नी मो. फारूक जाति देशवाली निवासी लाड़ाबास हाल निवासी दौलतपुरा

42/4– मो. साजिद पुत्र मो. सद्दीक जाति देशवालीजाति देशवाल निवासी लाड़ाबास।

43.अफजल पुत्र मोहम्मद अली

44.सुफियान पुत्र मोहम्मद अली (नाबालिग जरिये संरक्षक तसलीम) समस्तं जाति देशवाली निवासी रामसाबास, तहसील डीडवाना।

45.रासीदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी नौशाद जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

46.मुर्सिदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. अकरम जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी गरदेजाबासनी।

47.रूबीना पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. राशीदजाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

निवासी गरदेजा बासनी।

48.साजिदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मो. मोहसीम जाति देशवाली निवासी रामसाबास हाल निवासी लाड़ाबास तहसील डीडवाना।

49.निशाद पुत्री मोहम्मद अली

50.मुजकिरा पुत्री मोहम्मद अली

51.बुसरा पुत्री मोहम्मद अली

52.आयशा पुत्री मोहम्मद अली (नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरति वलिया तसलीम)

53.तसलीम पत्नी मोहम्मद अली समस्त जाति देशवाली निवासी रामसाबास।

54.सुण्डाराम पुत्र श्री रामकुंवार

55.गणेश पुत्र रामदेव

56.मन्जू पुत्री रामदेव

57.पिंकी पुत्री रामदेव

58.सुमन पुत्री रामदेवं

59.भगवती पुत्री रामदेव

60.मिनाक्षी पुत्री रामदेव

61.आशा देवी पत्नी रामदेव

62.पूर्णमल पुत्र श्री रामकुंवार

63.श्योपारी पत्नी श्री रामकुंवार

64.दला देवी पत्नी तोलाराम

65.पूसाराम पुत्र तोलाराम

66.मंगलाराम पुत्र तोलाराम

67.घीसी देवी पुत्री तोलाराम

68.मंगनीराम पुत्र पन्नाराम

69.खेताराम पुत्र पन्नाराम

70.गोवर्धन पुत्र पन्नाराम

71.रामाकिशन पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल

72.रामगोपाल पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल

73.मदनलाल पुत्र श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल समस्त जाति माली निवासीगण आड़का बास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

74.राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना।

<u>वाद–पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु।</u>

उपस्थित:– श्री अल्ताफ हुसैन अधिवक्ता वादीगण की और से।

प्रतिवादी संख्या 74 तहसीलदार स्वयं उप.।

यह मुकदमा हाजा वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अल्ताफ हुसैन वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 54 से 74 डिक्री किया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 161/2012 बअनुवान प्रार्थीगण सुण्डाराम वगैराह बनाम तहसीलदार मे पारित निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 30–08–2019 को प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता हैं व ग्राम रामसाबास पटवार हल्का बालिया तहसील डीडवाना मे स्थित वर्तमान नये खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 4.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 4.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 4.2300 हैक्टेयर कुल रकबा 13.3300 हैक्टेयर भूमि में से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज 3/8 हिस्से को हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 54 से 74 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि उपर वर्णित खसरान की 3/8 भाग भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 53 तक के काश्त कार्य करने व स्वतंत्र उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 53 से 73 व प्रतिवादी संख्या 74 व उसके कर्मचारी किसी प्रकार की दखलअन्दाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी एजेंट या प्रतिनिधि से ऐसा करावे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज..... ...... मुबलिग. .. बाबत...........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.............. फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक....... का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 माह 10 सन 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर)

दस्तखत.......................
सहायक कलेक्टर
ओहदा डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेस चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner